संथाल परगना अधिनियम, 1855

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. साधारण विनियमों के प्रवर्तन से निकाले गए जिले—खण्ड 1

जिलों का अधीक्षण—खण्ड 2

2. न्याय का प्रशासन और राजस्व का संग्रहण

एक हजार रुपए के मूल्य से अधिक के वाद

स्थायी रूप से बन्दोबस्त किए गए भू-राजस्व का संग्रहण

3. सिविल और दाण्डिक न्याय का प्रशासन

4. [निरसित] ।

5. [निरसित] ।

6. [निरसित] ।

अनुसूची ।

[1][संथाल परगना अधिनियम, 1855]

(1855 का अधिनियम संख्यांक 37)

[22 दिसम्बर, 1855]

संथालों और अन्य व्यक्तियों द्वारा निवसित कतिपय जिलों को साधारण विधियों और विनियमों के प्रवर्तन से निकालने के लिए और उनको उस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी के अधीक्षणाधीन करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—यत: इस समय बंगाल की प्रेसिडेन्सी में प्रवृत्त सरकार के साधारण विनियम और अधिनियम, संथाल नामक जनजाति के अनुकूल नहीं बनाए गए हैं और इसलिए यह समीचीन है कि दामिनी कोह कहा जाने वाला जिला व अन्य जिलों को जो कि प्रधानत: उस जनजाति द्वारा निवसित हैं ऐसी विधियों के प्रवर्तन से निकाला जाए; अत: यह निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है :—

1. साधारण विनियमों के प्रवर्तन से निकाले गए जिले—[2]**खण्ड 1**—इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम की अनुसूची में वर्णित जिलों को बंगाल संहिता के साधारण विनियमों और सपरिषद् भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा पारित विधियों के प्रवर्तन से एतद्द्वारा निकाला जाता है; और [3][भारत शासन अधिनियम, 1935 के भाग 3 के प्रारम्भ के पहले पारित;] (26 जार्ज पंचम, अ-2) किसी केन्द्रीय अधिनियम का विस्तार तब तक उक्त जिलों के किसी भाग पर नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह विशेष रूप से उसमें नामित न हों :

परन्तुक—परन्तु यह कि इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात [4]**** बंगाल संहिता, 1804 के विनियम संख्या 10[5] के प्रवर्तन से उक्त जिलों के किसी भाग को नहीं निकालेगी; और न यह अधिनियम किसी राजस्व बन्दोबस्त पर या उसके अधीन देय स्थायी रूप से बन्दोबस्त किए गए भू-राजस्व की बकाया से सम्बन्धित किसी विधि पर या राजस्व की बकाया के लिए भूमि विक्रय से संबंधित या पटनी तालुकों से या लगान की बकाया के लिए उनके विक्रय से सम्बन्धित किसी विधि पर, या नामान्तरण या बंटवारा से या किसी अन्य मामले से, जिसके लिए राज्य सरकार किसी समय [6][राजपत्र] में यह अधिसूचित करे कि उस पर साधारण अधिनियम और विनियम का विस्तार होगा, सम्बन्धित किसी विधि पर प्रभाव डालेगी ।

जिलों का अधीक्षण—**खण्ड 2**—उक्त जिले राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी या अधिकारियों के अधीक्षण और अधिकारिता[7] के अधीन रखे जाएंगे और ऐसा अधिकारी या अधिकारीगण राज्य सरकार के निदेश[8] और नियंत्रण के अध्यधीन होंगे ।

2. न्याय का प्रशासन और राजस्व का संग्रहण—सिविल और दाण्डिक न्याय का प्रशासन और ऐसे राजस्व का संग्रहण जो कि उक्त जिलों में स्थायी रूप से बन्दोबस्त किया गया भू-राजस्व नहीं है, इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी या अधिकारियों में एतद्द्वारा निहित किए जाते हैं :

एक हजार रुपए के मूल्य से अधिक के वाद—[9]परन्तु यह कि समस्त सिविल वाद जिनमें कि विवादग्रस्त विषय एक हजार रुपए के मूल्य से अधिक हो साधारण विधियों और विनियमों के अनुसार उसी रीति से विचारित और अवधारित किए जाएंगे मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो ।

स्थायी रूप से बन्दोबस्त किए गए भू-राजस्व का संग्रहण—परन्तु यह भी कि समस्त स्थायी रूप से बन्दोबस्त किए गए भू-राजस्व उन स्थानों पर और उसी रीति से संगृहीत और संदत्त किए जाएंगे मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो ।

---

[1] संक्षिप्त नाम संशोधन अधिनियम, 1903 (1903 का 1) की अनुसूची 1 द्वारा दिया गया ।
जैसा कि अनुसूची में वर्णित है यह अधिनियम केवल संथाल परगना पर विस्तारित है ।

[2] संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 1 के खण्ड 1 का अतिष्ठान किया गया ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा एतद्द्वारा पारित किसी विधि" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "न्यायालय में अब लंबित किसी निर्णय का विस्तार या प्रभावित करेगी, न कि यह" शब्दों का निरसन किया गया ।

[5] विशेष विधि निरसन अधिनियम, 1922 (1922 का 4) द्वारा बंगाल स्टेट आफेन्सेज रेग्यूलेशन, 1804 निरसित किया गया ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "कलकत्ता राजपत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त न्यायालय के अधिकारी संबंधी उपबन्ध के लिए देखिए संथाल परगना जस्टिस रेग्यूलेशन, 1893 (1893 का 5), अध्याय 3, भाग 2 ।

[8] धारा 1 खण्ड 2 के अन्तर्गत जारी निदेश संथाल परगना में प्रवृत्त अधिनियमिति से संगत होने चाहिएं । देखिए 1893 का विनियम सं० 5 की धारा 27 ।

[9] इस परन्तुक के सन्दर्भ के लिए देखिए संथाल परगना सेटिलमेन्ट रेग्यूलेशन, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 और 1893 के रेग्यूलेशन 3 की धारा 15 ।

3. सिविल और दाण्डिक न्याय का प्रशासन—सिविल और दाण्डिक न्याय के प्रशासन में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारीगण [1]*** या तो उक्त जिले के अन्दर या ऐसे स्थान या स्थानों पर जो कि उस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियत किए जाएं, अपना या अपने न्यायालय का कार्य करेंगे; और किसी सिविल या दाण्डिक जेल में कारावास दिए जाने के दायी व्यक्ति को यथास्थिति किसी सिविल या दाण्डिक जेल में जिसके लिए राज्य सरकार आदेश दे चाहे वह उक्त जिले के अन्दर हो या बाहर कारावास दिया जा सकेगा ।

4. [**विनिश्चयों का अन्तिम होना । मृत्यु दण्डादेश का पुष्टिकरण, अपील, सदर कोर्ट को निदेश करने की प्रक्रिया ।**] संथाल परगाना जस्टिस रेग्यूलेशन, 1893 (1893 का 5) द्वारा निरसित ।

5. [**यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनों संबंधी कानूनों की व्यावृत्ति ।**]—संथाल परगला रेग्यूलेशन, 1893 (1893 का 5) द्वारा निरसित ।

6. [**अधिनियम का प्रारम्भ ।**]—निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14) द्वारा निरसित ।

[2]अनुसूची

दामिनी कोह

परगना भागलपुर और परगना सतियारी का इतना भाग जो गेरुआ नदी के पूर्व में और हमजा चक से पूर्व की ओर दीघी गांव तक खींची गई लाईन के दक्षिण में स्थित है ।

जिला भागलपुर	परगना तिलियागढ़ी " जमनी चितलिया " कन्कजोल " बहादुरपुर " अकबरनगर " इनायतनगर " मकरायन " सुलतानगंज " जंबर " सुलतानाबाद " गोडा " अमोलमोतियार " पसाई " हंडवा टप्पा मनिहारी " बेलपट्टा	उनके ऐसे भागों को छोड़कर जो अब या इसमें इसके पश्चात् गंगा की मुख्य धारा के बाएं किनारे पर स्थित हों, जिससे कि नदी के मार्ग के बदलने से मुख्य धारा सीमा होगी ।
जिला वीरभूम	परगना पबिया टप्पा सारथ देवगढ़ " कंडित करैया " मुहम्दाबाद दारीन मोलेश्वर परगना का ऐसा भाग जो चिल्ला या चन्दन घाट नाला के उत्तर में स्थित है ।	ऐसे विलग्न गांव को छोड़कर जो इस अनुसूची में उल्लिखित नहीं किए गए परगनों की साधारण सीमा के अन्दर स्थित हैं ।

[1] 1893 के विनियम सं० 5 द्वारा "बंगाल प्रेसिडेन्सी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के न्यायालयों में प्रकाशित सिविल और दांडिक विधियों के भाव और सिद्धान्त मार्गदर्शन करेगी, लेकिन विधि अधिकारी से फतवा लेने को बाध्य नहीं होगा" शब्दों का निरसन किया गया ।

[2] 1857 के अधिनियम सं० 10 द्वारा मूल अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

अन्य परगनों और टप्पों के ऐसे विलग्न भाग जो उपरिलिखित परगनों और टप्पों में से किसी की साधारण सीमा के अन्दर स्थित है।

परगना तिलियागढ़ी में खिदिरपुर ग्राम के नीचे मालदा और पूर्णिया के ऐसे भाग, जो अब या इसके पश्चात् गंगा की मुख्य धारा के दाहिने किनारे पर स्थित हों।

———